

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक 11-3-15

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के मांग संख्या- 50 लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 लघु सिंचाई विभाग/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच	33.340

कुल आवंटित राशि - तैतीस लाख चौतीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट उपबंध तथा वित्त विभाग के पत्रांक-310/बजट, दिनांक 13.08.14 द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट से प्राप्त कूल राशि रुपये ₹ 8467.96 लाख (चौरासी करोड़ सड़सठ लाख छियानबे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ऑफर नाथ)
सहा. अभि.(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2014-15 से सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतनादि तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन का भुगतान इस इकाई में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जायेगा एवं जहाँ भी स्वीकृति आवश्यक हो, सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर लिया जायेगा। पूर्व में इस मद में आवंटित राशि में से यदि राशि शेष रह गई हो तो अवशेष राशि से अन्य कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया जा सकेगा। इस इकाई में अगर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो कर्मचारीवार पूर्ण विवरण के साथ अधियाचना भेजी जाय।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

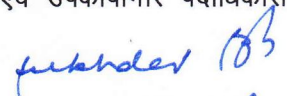
259

रॉची, दिनांक :-

11-3-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्नु, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/सरायकेला/गुमला/सिमडेगा/गढ़वा/हजारीबाग/देवघर/दुमका/जामताड़ा/मेदिनीनगर/गिरिडीह/चतरा/चाईबासा/धनबाद/रामगढ़/कोडरमा/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

259

रॉची, दिनांक :-

11-3-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पौंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/ सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

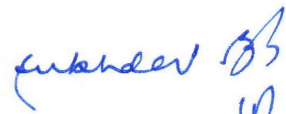
अनु. :- यथोक्त

(ऑंकार नाथ)

सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौंसिया)

उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

मांग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण / उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉब

पत्रांक 259 दिनांक 11-3-15 परेशिष्ट I
का अनुमति

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2014-2015	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	अभियुक्ति
		वेतन	एलादीय	15.11.2000 के बाद का वकामा	विकिरता प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विकिर प्रसार	कुल योग						
1	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	विपन कोड 50N27020200 5010101	50N27020200 5010112	50N27020200 05010183	50N27020200 05010185	50N27020200 5010213	50N27020200 5010315	50N27020200 5010323	50N27020200 005010333	50N27020200 05010334	50N27020200 010442	50N27020200 05010780	94.200						
		पूर्व का आवंटन	0.150	0.000	0.000	0.800	0.500	0.300	0.150	0.200	1.100	0.000							
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.150	0.000	0.000	0.400	0.000	0.650						
2	लघु सिंचाई अंचल-रॉबी	कुल आवंटन	91.000	0.150	0.000	0.800	0.600	0.450	0.150	0.200	1.500	0.000	94.850						
		पूर्व का आवंटन	113.000	0.150	0.000	0.600	0.550	0.200	0.150	0.250	1.000	0.000	115.900						
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.050	0.100	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.350						
3	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-रॉबी	कुल आवंटन	113.000	0.150	0.000	0.650	0.650	0.500	0.150	0.200	1.200	0.000	116.250						
		पूर्व का आवंटन	219.000	0.500	0.000	0.600	0.500	0.500	0.150	0.200	1.000	0.050	236.351						
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.550						
4	लघु सिंचाई प्रमंडल-गढ़वा	कुल आवंटन	219.000	0.500	0.000	0.750	0.550	0.650	0.150	0.200	1.200	0.050	236.901						
		पूर्व का आवंटन	115.000	0.000	1.790	0.200	0.400	0.200	0.050	0.800	0.900	0.200	119.540						
		अतिरिक्त आवंटन	27.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	27.400						
5	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	कुल आवंटन	142.000	0.000	1.790	0.200	0.400	0.200	0.050	0.800	1.300	0.200	146.940						
		पूर्व का आवंटन	258.510	0.150	0.000	0.750	0.450	0.000	0.100	1.025	1.000	0.500	262.485						
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200						
6	लघु सिंचाई प्रमंडल-चतरा	कुल आवंटन	258.510	0.150	0.000	0.750	0.450	0.000	0.100	1.025	1.200	0.500	262.685						
		पूर्व का आवंटन	213.120	0.100	0.000	0.400	0.400	0.000	0.120	0.300	1.000	0.150	215.590						
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.400	0.150	0.600						
7	लघु सिंचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	कुल आवंटन	213.120	0.100	0.000	0.400	0.500	0.000	0.120	0.300	1.400	0.250	216.190						
		पूर्व का आवंटन	436.380	0.000	3.980	0.200	0.400	0.300	0.150	0.850	0.900	0.100	443.260						
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.350						
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-धनबाद	कुल आवंटन	436.380	0.000	3.980	0.200	0.400	0.300	0.200	0.850	1.200	0.100	443.610						
		पूर्व का आवंटन	225.250	0.000	0.000	0.810	0.450	0.000	0.100	0.375	1.000	0.150	228.135						
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	0.450						
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-बोकारो	कुल आवंटन	225.250	0.000	0.000	0.810	0.550	0.000	0.070	0.375	1.300	0.150	228.585						
		पूर्व का आवंटन	202.550	0.000	0.000	0.500	0.400	0.150	0.050	0.400	1.000	0.000	205.070						
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.450						
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	कुल आवंटन	202.550	0.000	0.000	0.500	0.500	0.150	0.120	0.400	1.300	0.000	205.520						
		पूर्व का आवंटन	154.980	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.100	0.650	1.100	0.100	157.530						
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.500						
		कुल आवंटन	154.980	0.200	0.000	0.200	0.400	0.000	0.100	0.650	1.400	0.100	158.030						

(अधिकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुचित साक्षन कोरसेया)
उप सचिव (अभि0)

(मुख्य सचिव)
प्रधान सचिव

वित्तीय वर्ष 2014-2015		विरस्त शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					विरस्त शीर्ष-02-यात्रा व्यय					विरस्त शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विरस्त शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरस्त शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	एलएटीडीसी	15.11.2000 के बाद का बकाया	विक्रिस्ता प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रकार	कुल योग	अभियुक्ति								
11	लघु सिंचाई प्रमंडल-सिमडेगा	विषय कोड	50N27020200	50N27020200	50N2702020	50N27020200	50N27020200	50N27020200	50N270202	50N2702020	50N270202005	50N2702020	178.862									
		5010101	5010112	05010183	05010185	5010213	5010315	5010323	005010333	05010334	010442	05010760										
		पूर्व का आवंटन	165.000	0.000	11.482	0.000	0.400	0.000	0.080	0.600	0.900	0.200	0.100									
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.130	0.600	1.100	0.300	0.450									
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-हजारीबाग	कुल आवंटन	165.000	0.100	11.482	0.000	0.400	0.000	0.130	0.600	1.100	0.300	179.312									
		पूर्व का आवंटन	216.120	0.000	10.941	0.000	0.200	0.400	0.000	0.150	0.600	0.900	0.200	229.511								
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.050	0.350									
13	लघु सिंचाई रुपांकण प्रमंडल, रोखी	कुल आवंटन	216.120	0.000	10.941	0.000	0.400	0.000	0.150	0.600	1.200	0.250	229.861									
		पूर्व का आवंटन	231.000	0.200	17.984	0.200	0.400	0.450	0.000	0.300	0.525	0.500	0.100	251.659								
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100									
14	भूपर्ण जल संरक्षण प्रमंडल-दुमका	कुल आवंटन	231.000	0.200	17.984	0.200	0.400	0.550	0.000	0.300	0.525	0.500	251.759									
		पूर्व का आवंटन	36.500	0.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.000	0.000	0.100	0.600	0.000	37.750								
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.140	0.000	0.140									
15	भूपर्ण जल संरक्षण प्रमंडल-रोखी	कुल आवंटन	36.500	0.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.000	0.000	0.100	0.000	37.890									
		पूर्व का आवंटन	111.560	0.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.250	0.100	0.000	1.200	0.000	113.760								
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.500	0.000	0.800									
	अतिरिक्त आवंटन का योग	27.000	0.300	0.000	0.000	0.200	0.650	0.300	0.200	0.300	4.140	0.250	33.340									

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये तैतीस लाख चौतीस हजार मात्र

(ओंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति) सहायक अभियंता

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव

259
11-3-15